



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF DEFENCE

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

DEFENCE R&D ORGANISATION

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र

CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर

MARATHAHALLI COLONY P.O.

BANGALORE - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 1362/Type Approval No.1362

मद/FOR ITEM: "ए) केनोपी साइड ग्लास(पीओआरटी) पार्ट सं.2.51.0251.0020.00/91

बी) केनोपी साइड ग्लास(एसटीबीडी) पार्ट सं.2.51.0251.0020.00/92

"(a) Canopy Side Glass (PORT) Part No. 2.51.0251.0020.00/91"

"(b). Canopy Side Glass (STBD) Part No. 2.51.0251.0020.00/92"

यह प्रमाणित किया जाता है कि एमआईएल-पी-8184सी के अनुसार 10एमएम थिकनेस पॉली 84 कॉस्ट अक्रिलिक शीट का उपयोग करते हुए मेसर्स 11 बीआरडी, एएफ स्टेशन, ओझार टाउनशिप -422 221, नासिक द्वारा विकसित तथा उत्पादित, 11 बीआरडी/एलसी/आईआर/10447 द्वारा पहचानित ए) केनोपी साइड ग्लास(पीओआरटी) पार्ट सं.2.51.0251.0020.00/91(11 बीआरडी/आईएससी/ 4464.00) और 11 बीआरडी/एलसी/आईआर/10448 द्वारा पहचानित बी) केनोपी साइड ग्लास (एसटीबीडी) पार्ट सं.2.51.0251.0020.00/92 को दर्शित उत्पादन आरेखन सं. क्रमशः (पीओआरटी) ए) 11बीआरडी/आईएससी/ एम/4464.00, (एसटीबीडी) बी) आरेखन सं.11बीआरडी/आईएससी/एम/4465.00 के अनुसार मिग-23 यूबी वायुयान में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे आर.सी.एम.ए(नासिक) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल सं.11बीआरडी/आईएनडी/टीएस/42 दिनांक 22/09/2005 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह उत्पाद परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कंप्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित विनिर्देश/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the a) Canopy Side Glass (PORT) part No.2.51.0251.0020.00/91 (11 BRD/ISC/4464.00) identified by 11BRD /LC /AIR/10447, and b). Canopy Side Glass (STBD) part No.2.51.0251.0020.00/92 (11BRD/ISC/4465/00) identified by 11BRD /LC/AIR/ 10448", developed and manufactured using poly 84 cast acrylic sheet 10 mm thickness conforming to MIL-P-8184C by M/s. 11BRD, AF Station Ojhar Township-422 221, Nasik are hereby approved for production demonstrated manufacturing drawing Nos. (PORT) a) 11BRD/ISC/M/4464.00, (STBD) b) DRG NO-11BRD/ISC/M/4465.00 respectively for use on MiG-23 UB A/c. It has been tested as per Test Schedule No.11 BRD/IND/TS/42 dated 22/09/2005, in co-ordination with RCMA (Nasik). The Product has met the requirements of the specification / tests as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी होने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अनंतिम निकासी भंग हो जाती है। इस उत्पाद के निर्माण के लिए अपनाई गई विधियों पर अब से रोक लगाई जाती है। ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या का उल्लेख सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में किया जाना चाहिये

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन **31 दिसम्बर 2013** तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ **आर.सी.एम.ए (नासिक)**, द्वारा एचएएल(नासिक प भाग), ओझार टाउनशिप - 422 207 के माध्यम से सेमिलाक से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2013 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request CEMILAC through RCMA(Nasik), C/o HAL Nasik division, Ojhar Township-422 007, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में और किसी भी स्तर पर उत्पादन प्रोसस/ मेटिरियल्स में कोई परिवर्तन करना हो तो **सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक)**, बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes if any to the SOP declared to the performance indicated and change in manufacturing process/materials at any stage within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और **डी.जी.ए.क्यू.ए**, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl : परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलाक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1362

दिनांक/Date : 03 Oct 2008

फेक्स सं/Fax No: 080-25230856


(के.तमिलमणि/K.TAMILMANI)

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / वै 'एच' /Outstanding Scientist /Sc-'H'
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)